

न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :- सुभाष चंद्र

तहसीलदार उदयपुरवाटी सरकार जरिये पटवारी हल्का छापोली,

बनाम

श्री पालाराम मोहन सांवर पुत्रगण गुटाराम जाति माली निवासी ढाणी सौकड़ाला तहसील उदयपुरवाटी

अर्तगत घारा 91 राज0 भू, राजस्व अधिनियम, 1956

—:निर्णय:—

प्रकरण संख्या:- 27 / 2021

दिनांक 08.12.2021

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प स्थल छापोली में पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का छापोली ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश कर सूचित किया कि संवत 2077 में मौजा ग्राम ढाणी सौकड़ाला पटवार हल्का छापोली के हाल भूमि खसरा नम्बर 422 कुल रकबा 1.68 है0 किस्म गै0 मु0 पहाड़ में से 0.0223 है0 सरकारी भूमि पर श्री पालाराम मोहन सांवर पुत्रगण गुटाराम जाति माली निवासी ढाणी सौकड़ाला ने अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक शर्मा ने अपना वकालत नामा पेश किया।


पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अप्रार्थी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रूप अतिक्रमण करने के फलस्वरूप अतिक्रमि घोषित किया जाता है तथा उपरोक्त मुतनाजा अराजी से भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

आदेश

वाके ग्राम ढाणी सौकड़ाला पटवार हल्का छापोली के हाल भूमि खसरा नम्बर 422 कुल रकबा 1.68 है0 किस्म गै0 मु0 पहाड़ में से 0.0223 है0 सरकारी भूमि पर से श्री पालाराम मोहन सांवर पुत्रगण गुटाराम जाति माली निवासी ढाणी सौकड़ाला को बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं, साथ ही इस अनाधिकृत अतिक्रमण के दण्ड स्वरूप वार्षिक लगान 0.30 रुपये का 50 गुणा यानि कुल 15/-रुपये (अक्षरे रू पन्द्रह मात्र) बतौर जुर्माना अप्रार्थी पर आरोपित किया जाता है। निर्णय अनुसार मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखकार एवं भू0अभिलेख निरीक्षक को लिखा जाये। भू अभिलेख निरीक्षक को आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी को सरकारी भूमि से बेदखल कर रिपोर्ट बेदखली पेश करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 08.12.2021 को खुले इजलास सुनाया गया।

2021-22 पृष्ठ क्र 8
1522
Rajnang


(सुभाष चंद्र)
नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी
झुन्झुनू



